

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-...../08/2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक पथ तट फार्म योजनान्तर्गत गोपालगंज वन प्रमंडल में स्थित फुलवरिया प्रखण्ड के विभिन्न सरकारी संस्थानों में बाँस गैबियन वृक्षारोपण हेतु कुल ₹8.81 लाख (आठ लाख एकासी हजार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹5.39 लाख (पाँच लाख उनचालीस हजार ₹) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक पथ तट फार्म योजनान्तर्गत गोपालगंज वन प्रमंडल में स्थित फुलवरिया प्रखण्ड के चयनित विभिन्न सरकारी संस्थानों में हरित वातावरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुरूप 500 बाँस गैबियन वृक्षारोपण हेतु कुल ₹8.81 लाख (आठ लाख एकासी हजार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹5.39 लाख (पाँच लाख उनचालीस हजार ₹) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी-राज्य योजना, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, माँग संख्या-19 उप शीर्ष-0105-पथ तट फार्म, विपत्र कोड-पी2406018000105 राज्य स्कीम कोड-फॉर 5056 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी, एवं 27 01-लघु कार्य, तथा मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी-राज्य योजना, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-19 उप शीर्ष-0103-पथ तट फार्म, विपत्र कोड-पी2406017890103 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी के अंतर्गत उपलब्ध मूल उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज होंगें तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

4. प्रस्ताव में संचिका के पृ०-07/टि० पर दिनांक-16.08.2016 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की स्वीकृति तथा प्रारूप में संचिका के पृ०-08/टि० पर दिनांक-17.08.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
6. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजना को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।
9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यालय में संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन,


ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-59/2015 ५५०५ /प०व० पटना-15, दिनांक-12/08/2016

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक फुलवरिया प्रखंड के विभिन्न सरकारी संस्थानों के अंतर्गत बांस रोबियन वृक्षारोपण कार्य (206/-०० प्रति मास व दिवस)

क्र० सं०	प्रक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य	प्राक्कलित राशि			कुल
				2016-17	2017-18	2018-19	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	भोरे	1) राजकिय मध्य विद्यालय फुलवरिया परिसर 2) फुलवरिया रजीस्ट्री कार्यालय परिसर 3) फुलवरिया रजीस्ट्री कार्यालय परिसर 4) फुलवरिया रेफरल अस्पताल 5) फुलवरिया थाना परिसर	500	539520	194270	106945	840735
			500	539520	194270	106945	840735
नोट:- 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की राशि की बढ़ोतरी कर प्राक्कलन तैयार किया गया है। राशि की बढ़ोतरी सम्भावित मजदूरी/सामग्री दर की वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत रखा गया है।					19427	21389	40816
			500	539520	213697	128334	881551

कुल:-

प्रत्येक योजना पर संबंधित वन संरक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसे इस कार्यालय में रखा गया है Technical Sanction accorded for Rs. 8.81 lakh तथा योजना का विश्लेषण कर संकलित किया गया है। जिसपर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी गयी है। only.

उप सचिव

पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
बिहार, पटना।

11/10/18
10/10/18
10/10/18

फुलवरिया प्रखण्ड के विभिन्न सरकारी संस्थानों के अंतर्गत बांस गैबियन वृक्षरोपण कार्य वर्ष 2016-17				
I. no	कार्य	इकाई	इकाई दर	गोपालगंज
	प्रमंडल का नाम			गोपालगंज
	प्रक्षेत्र का नाम			भोरे
	जिला का नाम			गोपालगंज
	वनरोपण स्थल का नाम			1) राजकिय मध्य विद्यालय फुलवरिया परिसर 2) फुलवरिया रजीस्ट्री कार्यालय परिसर 3) फुलवरिया रजीस्ट्री कार्यालय परिसर 4) फुलवरिया रेफरल अस्पताल 5) फुलवरिया थाना परिसर
	पीट की संख्या बढ़ा-			500
	पौधों की संख्या-			500
			मौ०	वि०
	अग्रिम एवं समापन			
	मृदा कार्य- पीट का आकार- 0.45मी० x 0.45मी० x 0.45 मी०- पीट का Alignment, निर्धारित आकार में पीट की खोदाई (बड़े पौधों के लिए)			
11.2	(क) कड़ी मृदा	प्रति गड़दा	17.04	
	(ख) सामान्य मृदा	प्रति गड़दा	16.37	500 8185
11.3	वृक्षारोपण हेतु गोबर का कय	प्रति गड़दा	25.00	500 12500
11.4	पौधा रोपण (10 ग्राम डी.ए.पी. एवं 7 ग्राम कीटनाशक मिट्टी एवं गोबर के मिश्रण के साथ)	प्रति पौधे	22.27	500 11135
11.6	प्रथम वर्ष 500 पौधों के लगातार कोड़नी निकोनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 9 माह (जुलाई से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 206 x 9) = 48204 प्रति 500 पौधा, रासयनिक खाद एवं पटवन सामग्री, ठेला इत्यादि।	प्रति पौधे	116.40	500 58200
11.1	बांस गैबियन की किमत पेंटिंग सहित, परिवहन एवं स्थापित करना	प्रति गैबियन	889.00	500 444500
16.2 & 16.3	लोह गैबियन की किमत पेंटिंग डुलाई एवं स्थापित करना सहित		2642.00	
11.7	विविध कार्य (छायांकन इत्यादि)	प्रति वृक्षारोपण	5000.00	1 5000
	योग (2016-17)			539520
	द्वितीय वर्ष संपोषण कार्य			0
11.8	500 पौधा के दो कोड़नी निकोनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह (अप्रैल से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 206 x 12) = 64272 प्रति 500 पौधा रासयनिक खाद, वर्मी कम्पोस्ट एवं पटवन सामग्री इत्यादि।	प्रति गैबियन	138.54	500 69270
11.10	विविध कार्य (बैन्डू गैबियन मरम्मति कार्य इत्यादि)	प्रति गैबियन	250.00	500 125000
	योग (2017-18)			194270
	तृतीय वर्ष संपोषण कार्य			
11.11	500 पौधा के दो कोड़नी निकोनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह (अप्रैल से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 206 x 12) = 64272 प्रति 500 पौधा रासयनिक खाद, वर्मी कम्पोस्ट एवं पटवन सामग्री इत्यादि।	प्रति गैबियन	138.54	500 69270
11.12	विविध कार्य (बैन्डू गैबियन मरम्मति कार्य इत्यादि)	प्रति गैबियन	75.35	500 37675
	योग (2018-19)			106945
	कुल योग			840735

Submitted & T.S. Accorded

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
बिहार, पटना।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गोपालगंज वन प्रमण्डल

17/8/16